



पंचदश बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-19

बुधवार, दिनांक- 23 जुलाई, 2014 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री उदय नारायण चौधरी की अध्यक्षता में सभा की बैठक प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.30 बजे अप० तक

[1] प्रश्नोत्तरकाल :-

- (i) 02 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।
- (ii) 11 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।
- (iii) 01 तारांकित प्रश्न अपृष्ट ।
- (iv) 143 तारांकित प्रश्न अनागत ।

[2] कार्यस्थगन :-

माननीय सदस्य श्री प्रेम कुमार एवं श्री दुर्गा प्रसाद सिंह से प्राप्त कार्यस्थगन की सूचना नियमानुकूल नहीं रहने के कारण अमान्य किये जाने की घोषणा आसन से की गई ।

[3] अन्य चर्चाएँ :-

- (i) माननीय सदस्य श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा राज्य के महाविद्यालयों में स्वीकृत सीटों की संख्या घटने से छात्रों के नामांकन में हो रही कठिनाई का मामला उठाया गया ।
सरकार द्वारा इसका संज्ञान लिया गया ।
- (ii) माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा राज्य में उत्पन्न सुखाड़ की स्थिति पर सरकार से सदन में चर्चा कराये जाने की मांग की गई ।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि सरकार सुखे की स्थिति पर काफी संवेदनशील है । उन्होंने यह भी कहा कि आसन से जो समय निर्धारित किया जाएगा उस दिन उस पर चर्चा करायी जाएगी ।

आसन से घोषणा की गई कि आगामी 25.07.2014 को इस विषय पर एक घंटा की चर्चा होगी ।

[4] **शून्यकाल :-**

शून्यकाल की सूचनान्तर्गत निर्माकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य के विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया -

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| (i) श्री प्रदीप कुमार | (ii) श्रीमती पूनम देवी यादव |
| (iii) श्री अरूण शंकर प्रसाद | (iv) श्री प्रमोद कुमार |
| (v) श्री कृष्णनन्दन यादव | (vi) श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह |
| (vii) श्री संतोष कुमार निराला | (viii) श्रीमती मुनी देवी |
| (ix) श्री राजकुमार राय | (x) श्री विजय कुमार सिन्हा |
| (xi) श्री प्रेम कुमार | (xii) श्री राजेश्वर राज |
| (xiii) श्री राम नरेश प्रसाद यादव | (xiv) श्री तारकिशोर प्रसाद |
| (xv) श्री ललन राम | |

[5] **ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-**

- (i) मा० सदस्या श्रीमती रेणु कुमारी एवं अन्य सभासदों का 21.07.2014 से स्थगित मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर के लिए सरकार द्वारा समय लिया गया ।
- (ii) माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी एवं अन्य सभासदों की नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया तथा उत्तर के लिए सरकार द्वारा समय लिया गया ।
- (iii) माननीय सदस्य श्री कृष्ण कुमार एवं अन्य सभासदों का पथ निर्माण विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया तथा इसका उत्तर माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग द्वारा दिया गया ।

[6] **सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-**

- (i) माननीय सभापति लोक लेखा समिति श्री ललित कुमार यादव द्वारा समिति का 535, 537, 539, 540, 541, 542, 543 एवं 544वें प्रतिवेदन को एक-एक प्रति को सदन पटल पर रखा गया ।

भोजनावकाश के बाद

समय- 2.00 बजे अप० से 04.30 बजे अप० तक ।

[7] **विधायी कार्य :- राजकीय विधेयक :-**

- (i) **बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2014 :-**

माननीय मंत्री डा० विनोद प्रसाद यादव द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद द्वारा सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । डा० अच्युतानन्द द्वारा भी सिद्धांत पर विमर्श में अपना पक्ष रखा गया ।

माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । डा० अच्युतानन्द एवं श्री विनोद नारायण झा द्वारा भी जनमत जानने के प्रस्ताव पर पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया ।

विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

- (ii) **बिहार चिकित्सा सेवा संस्थान और व्यक्ति सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2014 :-**

माननीय मंत्री श्री रामधनी सिंह द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद द्वारा सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया। माननीय सदस्य डा० अच्युतानन्द द्वारा भी पक्ष रखा गया।

माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया। माननीय सदस्य डा० अच्युतानन्द द्वारा भी अपना पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

माननीय सदस्य श्री विनोद नारायण झा द्वारा संयुक्त प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया। प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-3 में माननीय सदस्य श्री कन्हैया कुमार, श्री विनोद नारायण झा, मा० सदस्या डा० उषा विद्यार्थी एवं माननीय सदस्य श्री जवाहर प्रसाद के संशोधनों के प्रस्ताव सदन द्वारा बारी-बारी से अस्वीकृत हुआ तथा सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

विधेयक के स्वीकृति के प्रस्ताव के विरोध में माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री नन्दकिशोर यादव द्वारा पक्ष रखा गया। माननीय नेता प्रतिपक्ष के कुछ विन्दुओं का उत्तर माननीय मंत्री श्री पी०के० शाही द्वारा दिया गया।

माननीय मंत्री श्री रामधनी सिंह द्वारा उत्तर दिया गया।

(उत्तर से असंतुष्ट होकर भाजपा के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये)

विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

[8] लोक महत्व के विषय पर विमर्श :-

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-94 के तहत डा० इजहार अहमद, सं०वि०सं० के तारांकित प्रश्न संख्या-962 के प्रश्नोत्तर के क्रम में उठे लोक महत्व के विषय शौचालय के निर्माण पर आधा घंटा का विमर्श।

“भाजपा के माननीय सदस्यगण सदन में पुनः आ गए।”

विमर्श का प्रस्ताव माननीय सदस्य डा० इजहार अहमद द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा इस विषय में अपना पक्ष रखा गया।

माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग श्री महाचन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा विमर्श का सरकार की ओर से उत्तर दिया गया।

[9] निवेदन :-

आसन से घोषणा की गई कि आज के लिए स्वीकृत कुल 32 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जाएंगे।

तत्पश्चात् सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना

दिनांक-23.07.2014

हरeram मुखिया

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।



पंचदश बिहार विधान सभा के चतुर्दश सत्र के
दिनांक 23.07.2014 के दैनिक विवरणिका का
शुद्धि पत्र

दिनांक 23.07.2014 के लिए पूर्व से निर्गत दैनिक विवरणिका के क्रमांक 7 (विधायी कार्य) के कडिका (ii) बिहार चिकित्सा सेवा संस्थान और व्यक्ति सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2014 के स्वीकृति के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा भी अपना पक्ष रखा गया था।

अतः पूर्व में निर्गत दैनिक विवरणिका के क्रमांक 7 कडिका (ii) को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

पटना
दिनांक-30.07.2014

हरeram मुखिया
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।